

फा.सं. 354/129/2017-टीआरयू

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
टैक्स रिसर्च यूनिट

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

27 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त
/केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)/प्रधान महानिदेशक/
महानिदेशक (सभी)

विषय:- बिना सिले हुए सलवार शूट्स के बारे में स्पष्टीकरण-

जीएसटी के अंतर्गत कपड़ों के "कटपीसेस" के वर्गीकरण के बारे में व्यक्त किए गए संदेह।

2. ऐसी बातें कहीं गयी हैं कि रेडिमेट वस्तुओं या परिधानों को तैयार किए जाने के पहले कपड़ों को बंडल या थान में से काटा जाता है और उनको बिना सिले हुए स्थिति में बेच दिया जाता है। उपभोक्ता इन सेटों या पीसो को खरीदकर अपनी नाप और आकार के अनुसार इसको सिलवा लेते हैं।
3. इन कपड़ों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची के अध्याय 50 से 55 के अंतर्गत उनके निर्माण सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इन पर 5 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाई जाती है और प्रयोग न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड भी नहीं किया जाता है।
4. बंडल या थानों से विभिन्न लंबाई के टुकड़ों में इन कपड़ों को काटने मात्र से इन वस्तुओं की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कपड़ों के इन टुकड़ों को संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उसी वर्ग में रखा जाता है और इन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है।
5. अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र के विषयवस्तु को प्रचार-प्रसार करने के लिए उपर्युक्त नोटिसे जारी की जाए।
6. इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय

राहिल गुप्ता
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)